

**फर्द अहकाम**  
 काबूलाने बनाम दबुहाब रक्षाप

नाम न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
 केस संख्या (फास्ट ट्रेक) आनंद गु. जयपुर  
 39/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	कि
	05/05/17	<p>पगावली पेश दुई कायदे पत्रिका                      ने यां फा 0-9 1/3 4 2 भुक्त                      किम पगावली वाहे जवाब/वह                      या. फा व इत्या कुल्लान                      रिपो लोड फा ल / व म वोठ                      रिपो वला के फेस हो फांस                      02/06/17 को पेश हो</p>	
	02/06/17	<p>पगावली आज दिनांक को लोड                      आलत / व म वोठ रिपो के                      पेश हुके दधीलदार कोमर ने                      कुल्लान रिपो वस्तु की । शरीर                      किम वादी ने फेस वक्त की                      है । मक्के से अनुसार अफपुत्राण                      को सडु की कोर रखा गया है                      आज: वादवादी दधीलदार कोमर                      ने फास कुल्लान रिपो के अनुसार                      अतिरिक्ती किम जाय है                      चूंकि वाद में प्राथमिक डिडी पूरी के                      हो जाये हो चुकी थी एवं कुल्लान                      को फास हो चुके है किन्तु अफपुत्राण                      अफपुत्राण की सुविधा, सडु                      का ध्यान रखा गया है आज: फास                      या. फा रवायि किम जाय है                      वादवादी अतिरिक्ती रिपो जवाब                      पगावली पेश हुके वक्त है</p>	
		<p align="right">सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट                      (फास्ट ट्रेक) आनंद गु. जयपुर</p>	

(4)

**अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्बदाई**  
(ओं 20 रुस्त 6 व 7 जाब्ता दोवानी)  
**लोक अदालत/केम्प कोर्ट शिविर :-सिरोही कलां**

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) आमेर मु0 जयपुर पीठासीन अधिकारी श्रीमति कुतल विश्णोई (आर.ए.एस)

वाद संख्या 39/2016

निर्णय दिनांक 02.06.2017

1. बाबूलाल पुत्र देवाराम, जाति गुर्जर।  
निवासी ग्राम कुशलपुरा, तह0 आमेर, जिला जयपुर (राज)।

\_\_\_\_\_वादी

बनाम

1. हनुमानसहाय पुत्रान प्रभातराम, जाति गुर्जर।
2. श्रवणलाल  
निवासीगण सुन्दरपुरा, तह0 आमेर, जिला जयपुर (राज)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

\_\_\_\_\_प्रतिवादीगण



**बाबू बाबू तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा**

निर्णय

चूंकि प्रस्तुत कुरेजात के अनुसार उभयपक्षकारान की सुविधा एवं रास्ते की सुविधा को दृष्टिगत रखा गया है तथा वादी द्वारा भी प्रस्तुत कुरेजात पर सहमति व्यक्त की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति व्यक्त/प्रस्तुत नहीं की गई। अतः तहसीलदार आमेर से ग्राम सुन्दरपुरा, पटवार हल्का बीलपुर, तह0 आमेर, जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि आ.ख.न. 440/812 कुल खसरा किता-1, कुल रकबा 0.1212 है0 के सन्दर्भ में प्राप्त कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार वाद वादी अन्तिम डिक्री किया जाता है।

दस्तखत—

ओहदा—

**सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट**  
**फास्ट ट्रैक आमेर मु0 जयपुर**

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	-	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित	2 रुपय		मुतफरित		
मीजान			मीजान		

8

## डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओं 20 रूल्स 6 व 7 जाबा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि० (फास्ट ट्रैक ) आमेर मु०  
पीठासीन अधिकारी श्रीमती कुतल बिश्नोई (आर.ए.एस)

राजस्व वाद संख्या 39/2016

निर्णय दिनांक 18.04.2017


1. बाबूलाल पुत्र देवाराम, जाति गुर्जर।  
निवासी ग्राम कुशलपुरा, तह० आमेर, जिला जयपुर (राज)।

.....वादी

बनाम

1. हनुमानसहाय | पुत्रान प्रभातराम, जाति गुर्जर।
2. श्रवणलाल |  
निवासीगण सुन्दरपुरा, तह० आमेर, जिला जयपुर (राज)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर तहसील आमेर जिला जयपुर।

.....प्रतिवादीगण



वाद बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी का वाद प्राथमिक डिक्री किया जाता है। जिसके अन्तर्गत तहसीलदार आमेर को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम सुन्दरपुरा, पटवार हल्का बीलपुरा, तह० आमेर, जिला जयपुर स्थित विवादित भूमि आ.ख.न. 440/812 कुल खसरा किता-1, कुल रकबा 0.1212 है० का कब्जेकाशत को दृष्टिगत रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउण्डस तकास्मा कर कुरेजात प्रस्ताव न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

बसखत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 18.04.2016 को जारी किया ।

ord ?

दस्तखत—

ओहदा—

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रैक) आमेर मु. जयपुर  
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजि० (फास्ट ट्रैक)  
आमेर मु० जयपुर